

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

“सामाजिक सुरक्षा विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण”

(18.09.2017 से 20.09.2017)

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 18.09.2017 से 20.09.2017 तक “सामाजिक सुरक्षा” विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन सत्र में कोर्स निदेशक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियाँ ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाया।



प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में श्री के.एल. शर्मा विभागाध्यक्ष (मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने वृद्धावस्था एवं इससे सम्बन्धित शारीरिक, मानसिक एवं विषम सामाजिक परिस्थितियों पर जानकारी दी। उन्होंने सुरक्षा के लिए प्रभावी वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावकों की देखरेख एवं जीवनयापन कानून 2007 पर विस्तृत चर्चा की।

श्री भगवान सहाय शर्मा, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ने सामाजिक सुरक्षा के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भों के बारे में बताया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा जारी योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला एवं पुलिस के सम्पर्क में आने वाले बच्चों एवं महिलाओं के लिए विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने प्रक्रियाएं समझायी।

श्रीमती देवयानी भाटी, सहायक प्रोफेसर, विधि महाविद्यालय जयपुर ने महिलाओं की स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि महिलाओं की ऐसी दशा के लिए समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव जिम्मेदार है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के लिए समता आधारित समाज एवं शिक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने जेण्डर की व्याख्या करते हुए महिलाओं के पक्ष में बनायी गयी नीतियों एवं कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

श्रीपाल शक्तावत, ईटीवी, राजस्थान ने मीडिया नेटवर्किंग और सामाजिक रक्षा विषय पर अपनी बात रखते हुए मीडिया की महती भूमिका के बारे में विभिन्न अनुभवों को साझा किये। उनके द्वारा कन्या भ्रूण हत्या, डायन प्रथा एवं यौन हिंसा से पीड़ित हुई महिलाओं के प्रकरणों की मीडिया रिपोर्टिंग एवं उससे मिली सफलताओं के बारे में विस्तार से बताया एवं मीडिया किस तरह सकारात्मक खबरों के द्वारा समाज को सजग बना सकता है।

श्री राधाकान्त सक्सेना सेवानिवृत्त आई.जी.पी. (जेल) ने बन्दियों एवं उनके आश्रितों पर चर्चा करते हुए कहा कि बन्दीगृह, अपराधियों के सुधार के लिए बनाये गये हैं परन्तु जेलों में सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्यवाहियों का अभाव है। यह पक्ष बहुत ही अमानवीय है। उन्होने जेलों से बाहर भी पीड़ितों के लिए राहत, सुरक्षा, पुनर्वास एवं पुर्नउद्धार की विशेष जरूरत बतायी।



श्री राजेन्द्र भानावत, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा मुद्दे, अवधारणाएं एवं मूलभूत वास्तविकता विषय पर एक विशेष समूह चर्चा का आयोजन किया गया। डॉ. रेणू सिंह, कार्यकारी निदेशक, दिशा फाउंडेशन, जयपुर ने सामाजिक सुरक्षा की लोकतांत्रिक संदर्भों में व्याख्या करते हुए प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा को सरकारों सहित प्रत्येक नागरिक का दायित्व बताया। श्री संजय शर्मा, जनरल मैनेजर, सेव द चिल्ड्रन, जयपुर ने शिशु सुरक्षा के संदर्भ में कहा कि विधिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं एवं बच्चों के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को साथ में मिलकर प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उन्होने सामाजिक सुरक्षा एवं नागरिकों के जीवन में बदलाव के लिए सरकार के सुरक्षा एवं विकास कार्यक्रमों को प्रभावी तंत्र के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता बतायी। उन्होने प्रत्येक जन को समान अवसर एवं सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने पर बल दिया। श्री राजेन्द्र भानावत, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. ने सामाजिक सुरक्षा के विस्तृत क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत बड़ा है जिसमें पुलिस की भूमिका बहुत

महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुलिस में सामाजिक सुरक्षा के लिए किये गये प्रयास जिसमें नागरिक सुरक्षा बल, सामुदायिक सम्पर्क समूह, चेंज मेनेजमेंट इन पुलिस, नागरिक समिति, वृद्धजनों के लिए सम्बल योजना आदि सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बतायीं।

श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, सहायक निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारियां दीं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को काम के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों एवं उनके निराकरणों के बारे में बताया।

श्री यदुराज शर्मा एवं श्री विश्वास शर्मा, परामर्शद, राजस्थान पुलिस अकादमी ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित बालकों के संरक्षण एवं पुनर्वास पर कार्यरत संस्था "दिशा" एवं संस्था डी-एडिक्शन एण्ड चाईल्ड केयर सेन्टर (आई-इण्डिया) की शैक्षणिक विजिट करायी एवं द्रव्य एवं नशीले पदार्थ एवं उनके उपयोग पर चर्चा की व प्रचलित मादक पदार्थों की प्रकृतियों एवं व्यसनों के मानसिक एवं शारीरिक प्रभावों के बारे में अवगत कराया। ऐसे व्यसनों से मुक्त होने के तरीकों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।



समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए डॉ. आर. गिरिराज, उप निदेशक, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए ओर अधिक संवेदनशील बनाना होगा एवं पीडित एवं असुरक्षित वर्ग के लिए कार्यवाहियों को प्राथमिकता में लाना होगा तभी प्रशिक्षण की सार्थकता है। समाज में सुरक्षा का मुख्यतंत्र पुलिस है जो पीडित एवं अपराधी को समाज की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। समापन सत्र के दौरान पुलिस अधिकारियों को सहभागिता प्रमाण पत्र अतिथि महोदय द्वारा वितरित किये गये। प्रशिक्षण में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।